

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/865/2019/10-11/1944 भोपाल, दिनांक 16-07-25
प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, छतरपुर, मध्यप्रदेश।

विषय:- छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एक्सटेंशन गुलगंज-
अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वन भूमि
म0प्र0 सड़क विकास निगम, सागर को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण
क्रमांक/FP/MP/ROAD/30762/2017)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/तकनीकी/2066 दिनांक 17.06.2025

-----0-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, संदर्भित पत्र के द्वारा आपने केवल वैकल्पिक
वृक्षारोपण योजना के संबंध में लेख किया गया है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार बिन्दुवार जानकारी भिजवायें, ताकि
प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

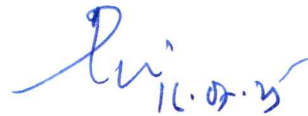
पृ. क्रमांक/एफ-5/865/2019/10-11/1945

भोपाल, दिनांक 16-07-25

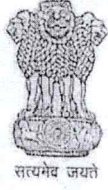
प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) छतरपुर वृत्त, छतरपुर, मध्यप्रदेश।
 2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीसी 026/2019-बीएचओ/
प्रति,

दिनांक : 05-11-2024

11

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
वल्लभ भवन, भोपाल
(मध्यप्रदेश) ।

विषय: छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एक्सटेंशन गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/ निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/ROAD/30762/2017)

संदर्भ: 1. कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीसीएमपीसी 026/2019-बीएचओ/409 दिनांक 24/05/2019.

2. नोडल अधिकारी, म.प्र. का पत्रांक एफ-5/865/2019/10-11/4889 दिनांक 18/9/24.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 17/05/2019 में विचार विमर्श किया गया । आर.ई.सी. द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्यालय के पत्र दिनांक 24/05/2019(संदर्भित पत्र-1) के माध्यम से जानकारी चाही गयी ।

नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के पत्र दिनांक 18/09/24 द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर अनुसार अन्य वांछित जानकारियाँ/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । अतः निम्नलिखित जानकारियाँ/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. The concerned DFO shall certify that the area proposed for diversion is correct as per the available actual field boundaries in the approved working plan.
2. The balance area of CA, Scheme, KML file & related documents shall also be provided for the project because the "chote bade jhar ka jungle" category is provided in double the extant of area proposed for diversion.
3. Status of Wild Life clearance may also be provided, since it is 0.7 km away from Panna Tiger Reserve.

उपरोक्त जानकारी प्रेषित किये जाने का अनुरोध है जिससे प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

Signed by Yogesh Gairola

(डॉ. योगेश गैरोला)

Date: 05-11-2024 08:27:18

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।